राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ1(स)(30)स्था./डीटीए/130 दिनांक : 28/05/2025

कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.1(स)(30)स्था/डीटीए/20–24 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की वर्गवार दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर किसी अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित वरिष्ठता अथवा अन्य किसी तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित अभ्यावेदन, आपत्तियों की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में आदिनांक तक कोई अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (स)(30)स्था/डीटीए/20–24 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची को ही ''अन्तिम वरिष्ठता सूची'' माना जावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ1(स)(30)स्था./डीटीए/130 दिनांक : 28/05/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी (शहर/ग्रामीण), जोधपुर/उदयपुर।
2. उपनिदेशक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को डीटीए की साईट पर अपलोड करावें।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. श्री/श्रीमती .... पद..
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)